Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Arms Appeal No.- 38/2021

Md. Ismiel*.....*Appellant

Versus

The State of Bihar .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.04.2023	**आदेश** प्रस्तुत शस्त्र अपील वाद जिला दंडाधिकारी, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक–1160, दिनांक–03.10.2015 के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षो को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी किशनगंज जिला के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। एक भारतीय किसान हैं, साथ ही साथ बड़े जमीनदार हैं। वह आयकर एवं वाणिज्य कर दाता रहते हुए देश के एक शांतिप्रिय जिम्मेदार नागरिक है। वह अपनी जान–माल की हिफाजत हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति सं 07KG/2004 पर दो नाली बंदूक धारित करते थे। जिला दंडाधिकारी, किशनगंज के ज्ञापांक–1160, दिनांक–03.10.2015 के द्वारा अपीलार्थी के उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए निकटतम थाना/शस्त्र दूकान में अपने शस्त्र जमा कराने का निदेश दिया गया। जबकि अपीलार्थी अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन वर्ष 2020 तक नवीनीकरण करा चुके थे, तब जिला दंडाधिकारी, किशनगंज ने अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को शस्त्र का सत्यापन का आधार बनाते हुए वर्ष 2015 में ही निलंबन आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश की जानकारी काफी विलंब से दी गई। इस प्रकार निम्न न्यायालय आदेश विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यो से परे एवं विधि विरूद्ध तथा यांत्रिक रूप से पारित किया गया है, जो	

Web Copy. Not Official.

		निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी को किशनगंज से शस्त्र की	
	लगातार 18.04.2023	क्रमशः सत्यापन हेतु निर्धारित तिथियों का सूचना के आलोक में इनके द्वारा अपने शस्त्र का नवीनीकरण कराया जा चुका था। इस स्थिति में जिला दंडाधिकारी, किशनगंज द्वारा वर्ष 2015 में पारित आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जाना चाहिए। इस प्रकार इनकी ओर से निम्न न्यायालय आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ जिला शस्त्र दंडाधिकारी, किशनगंज द्वारा पत्रांक–60, दिनांक–16.04.2021 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2015 के अवसर पर किशनगंज जिला के अंतर्गत वैध अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्रों के भौतिक सत्यापन हेतु कई तिथि निर्धारित की गई, किन्तु मो0 इस्माइल द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–07KG/2004 पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया, जिसके आलोक में जिला दंडाधिकारी, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक–1160, दिनांक–03.10.2015 द्वारा कुल 54 अनुज्ञप्तिधारियों का एक साथ तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए शस्त्र जमा करने का आदेश दिया गया है। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने शस्त्र को निकटवर्ती थाना में जमा नहीं कराया गया है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि इस मामले में अपीलार्थी के द्वारा वर्ष 2015 में धारित शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया गया था, जबकि जिला पदाधिकारी द्वारा अनेक तिथियाँ निर्धारित कर अपीलार्थी को शस्त्र का सत्यापन का कई अवसर प्रदान किया गया, इसके उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया गया। जिस कारण अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया है। शस्त्र अनुज्ञप्ति नियमावली की धारा 17(3) के आलोक में Licensing authority द्वारा Suspension की समय सीमा का निर्धारण	

Web Copy Not Official.

	<u>लगातार</u> 18.04.2023	करते हुए या तो License को Revoke करना है या Reject करना है। इस प्रकार वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद समाहर्त्ता, क्रमशः किशनगंज को यथोचित कार्रवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.